राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
(एनएचएम) स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ.42/एनएचएम/आरबीएसके/2015/416 दिनांकः 10/11/15

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन हेतु स्वीकृत संविदा आयुष चिकित्सको के 1024 पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 191 दिनांक 17.03.2015 के क्रम में प्राप्त चयन सूची में सम्मलित चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 18.11.2015 से 21.11.2015 तक प्रातः 09:00 बजे से हीराबाग स्थित नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में मूल शैक्षणिक अंकतालिकाओं एवं समस्त दस्तावेजो के साथ निम्न कार्यक्रमानुसार उपस्थित होवें :–

क्र0सं0	दिनांक	उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों का ब्यौरा
1	18.11.2015	समस्त आयुर्वेद चिकित्सक सामान्य वर्ग
2	19.11.2015	समस्त आयुर्वेद चिकित्सक ओबीसी/एससी/एसटी/एसबीसी/
3	20.11.2015	समस्त हॉम्योपेथ चिकित्सक सामान्य वर्ग एवं समस्त एसटी वर्ग
4	21.11.2015	समस्त हॉम्योपेथ चिकित्सक ओबीसी/एससी/एसबीसी/ एवं समस्त युनानी चिकित्सक समस्त वर्ग

काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिये सामान्य दिशा–निर्देश

1. चयन सूची में सम्मलित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकतालिकाओं एवं समस्त दस्तावेजो का सत्यापन दिनांक 18.11.2015 से 21.11.2015 तक उक्त निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित किया जावेगा।
2. अभ्यर्थी निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व नियत स्थान पर काउंसलिंग हेतु उपस्थिति देंगे। नियत समय पश्चात् काउंसलिंग में शामिल नही किया जा सकेगा।
3. काउंसलिंग बोर्ड के समक्ष मोबाईल फोन/इलैक्ट्रोनिक उपकरण आदि पर प्रतिबन्ध है।
4. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को अपने योग्यता सम्बंधि सभी मूल शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेजों एवं इनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति का एक सेट लाना होगा।
5. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को स्वयं का कोई भी मूल फोटो आई डी दस्तावेज साथ लाना होगा।
6. अभ्यर्थि द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/सपथ पत्र/दस्तावेज यदि फर्जी/परिवर्तित/ कुटरचित पाये जाने पर चयन सूची में सम्मलित नहीं किया जायेगा।
7. काउंसलिंग में इंडियन मेडिसन बोर्ड राजस्थान, जयपुर से नवीनतम मूल पंजीयन प्रमाण पत्र एवं मूल इंटर्नशिप प्रमाण पत्र भी साथ लावें।

8. काउंसलिंग में कोई भी अभ्यर्थी योग्य नही पाये जाने पर संबंधित पद के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
9. उपरोक्त निर्देशो की अवहेलना एवं काउंसलिंग बोर्ड के समक्ष किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
10. काउंसलिंग के पश्चात् चयनित अभ्यार्थियो की सूची विभागीय वेब साइट पर दी जावेगी ।
11. काउंसलिंग हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि देय नही होगा।
12. अभ्यर्थी अपने अल्पाहार/भोजन/विश्राम की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करावें।
13. मूल काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का मिलान एवं सत्यापन होने के पश्चात् ही अभ्यर्थी को चयन योग्य माना जायेगा।
14. काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यार्थियों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर जिला आवंटित किया जायेगा।
15. काउंसलिंग के पश्चात् चयन किये गये योग्य अभ्यार्थियों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित होने वाली मोबाइल हैल्थ टीम में ही कार्य करना होगा।
16. काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियो को 100 रूपये के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि नियुक्ति दिनांक से कम से कम 6 माह तक आरबीएसके की मोबाइल हैल्थ टीम में कार्य करेंगे अन्यथा उनको नियुक्ति तिथि से त्याग पत्र की तिथि तक किया गया सम्पूर्ण मानदेय भुगतान व उनके प्रशिक्षण पर किया गया खर्च (अनुमानित 10000 रूपये प्रति अभ्यर्थी) उनके द्वारा वापस राजकोष में जमा कराया जायेगा।

10.11.15

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर